न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 131/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सागरमल कुमावत, उर्वरक निरीक्षक
   बनाम
   मैसर्स नोवा एग्रीटेक प्रा. लि. एस वाई नं. 251/ए–1 सिंगानगुढा, सिडीपैट, तैलंगाना–502279।
4. निर्णय दिनांक : 29.03.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री गजराज सिंह राजावत की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि0) झोडवाडा, जयपुर सागरमल कुमावत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 25–10–2018 को संयुक्त निदेशक कृषि(आदान), कृषि आयुक्तालय, जयपुर द्वारा उर्वरकों का अवैध भण्डाराण करने की दी गयी सूचना पर विश्वकर्मा आद्योगिक क्षेत्र में स्थित गोदाम एफ–658, रोड नं. 9 एफ–2 में पंहुच कर गोदाम की जाचं की गयी। दौराने निरीक्षण श्रीजी पेस्टीसाईड प्रा.लि. वडोदरा, गुजरात, मैसर्स नोवा एग्रीटेक प्रा.लि. सिकन्दराबाद, तेलंगाना, मैसर्स यूनिवर्सल स्पेश्यिलिटी कैमिकल्स प्रा.लि. तालोगा, रायगढ महाराष्ट्र द्वारा निर्मित जैव उर्वरकों के विभिन्न ब्राण्ड भण्डारित किये हुए मिले। मौके पर निर्माता कम्पनी के मालिक/प्रतिनिधि में से कोई उपस्थित नहीं मिला। मौके पर उर्वरकों/जैव उर्वरकों का हैण्डलिंग का कार्य करने वाले श्री सुरेश जैन उपस्थिति मिले। उक्त फर्मों के जैव उत्पादों/उर्वरकों के संबंध में स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, मासिक रिटर्न एवं प्राधिकार पत्र आदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। निरीक्षण के दौरान फर्म के उत्पादों के कन्टेनर को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निर्माता फर्म द्वारा जैव उत्पादों को उर्वरक के रुप में पैकिंग कर विक्रय हेतु भण्डारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अवैध रुप से भण्डारित 2 उर्वरक जिंक सल्फेट मोनाहाइड्रेट (Zinc sulphate monohydrate) 1200 किग्रा. व बायो एनरिच्ड आर्गेनिक मैन्युर (Bio enriched organic manure) 520 बैग प्रत्येक में 25 किग्रा. कुल 13000 किग्रा. जब्त कर फर्द जाप्ता तलाशी, मौका नक्शा, फर्द जब्ती, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात कर करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज सिंह राजावत उपस्थित हुए। अप्रार्थी ओर से दिनांक 30.07.2024 को नोटिस का प्रत्युत्तर व लिखित अभ्यावेदन पेश किया गया जिसमें अंकित है कि फर्म ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1955 की धारा 19 सी का उल्लंधन नहीं किया है ना ही जैव उत्पादों को उर्वरक के रुप में पैकिंग कर विक्रय हेतु भण्डारित किया। फर्म को राजस्थान में पेस्टीसाइड को बेचने की अनुमति वर्ष 2018 व 2019 में दी गई थी। ज्वाईंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जिला परिषद जयपुर द्वारा दिनांक 17.04.2018 को इनसेक्टिसाईटस को बेचने, स्टॉक करने एवं प्रदर्शित करने का लाईसेंस फर्म के वी.के.आई. वाले प्लॉट को दिया गया। संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) जयपुर राजस्थान

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

द्वारा दिनांक 12.10.2020 को जारी अधिकार पत्र फर्म को अगले 5 वर्ष के लिये राज्य स्तरीय थोक उर्वरक कारोबार करने के लिए हकदार बनाता है। प्रार्थी फर्म ने किसी भी तरह की अवैध रुप से उर्वरकों का भण्डारण नहीं किया है ना ही जैव उत्पादों को उर्वरकों के रुप में पैकिंग कर विक्रय हेतु भण्डारित किया है।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि फर्म ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1955 की धारा 19 बी, का उल्लंघन नहीं किया है ना ही जैव उत्पादों को उर्वरक के रुप में पैकिंग कर विक्रय हेतु भण्डारित किया। फर्म को राजस्थान में पेस्टीसाइड को बेचने की अनुमति वर्ष 2018 व 2019 में दी गई थी। ज्वाईंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जिला परिषद जयपुर द्वारा इनसेक्टिसाईड्स को बेचने, स्टॉक करने एवं प्रदर्शित करने का लाईसेंस फर्म के वी.के.आई. स्थित गोदाम को दिया हुआ है। फर्म को संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) जयपुर राजस्थान द्वारा दिनांक 12.10.2020 से अगले 5 वर्ष के लिये राज्य स्तरीय थोक उर्वरक कारोबार करने के लिए अधिकार पत्र दिया हुआ है। प्रार्थी फर्म ने किसी भी तरह की अवैध रुप से उर्वरकों का भण्डारण नहीं किया है ना ही जैव उत्पादों को उर्वरकों के रुप में पैकिंग कर विक्रय हेतु भण्डारित किया है। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 29.__.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 25–10–2018 को अवैध रुप से भण्डारित 2 उर्वरक जिंक सल्फेट मोनाहाइड्रेट (Zinc sulphate monohydrate) व बायो एनरिच्ड आर्गेनिक मैन्युर (Bio enriched organic manure) को जब्त किया गया। मौके पर फर्म द्वारा जब्त उर्वरकों के संबंध में स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, मासिक रिटर्न एवं प्राधिकार पत्र आदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। फर्म को दिनाक 14/03/2018 को राजस्थान सरकार कमिश्नरेट ऑफ एग्रीकल्चर राजस्थान द्वारा Insecticides (कीटनाशक) बेचने की अनुमति दी गई थी ना कि उर्वरक व जैव उत्पादों की। प्रार्थी द्वारा जब्ती की कार्यवाही किये गये फर्म के स्थान को ज्वाईंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जिला परिषद जयपुर द्वारा दिनांक 17.04.2018 को Insecticides (कीटनाशक) को बेचने, स्टॉक करने एवं प्रदर्शित करने का लाईसेंस दिया गया। उक्त लाईसेंस के नियमों में अंकित है कि लाईसेंस लेने वाली फर्म किसी अतिरिक्त Insecticides (कीटनाशक) या अन्य किसी उत्पाद को बेचना, स्टॉक करना है तो उसे सभी के लिए लाईसेंस लेना होगा। यदि फर्म पर नियुक्त अनुभवी स्टॉफ को बदला जाता है तो उसके बारे में लाईसेंस देने वाले ऑफिसर को सूचना देनी होगी। फर्म को मिले लाईसेंस में स्टॉफ का नाम Uppalapati Chandra Sekhar अंकित है जबकि जब्ती के समय हैण्डलिंग का कार्य करने वाले श्री सुरेश जैन उपस्थित मिले जो कि नियमों के अनुरुप नहीं थे। साथ ही ऐसा कोई दस्तावेज अप्रार्थी ने प्रस्तुत नहीं किया जिसमें स्टॉफ के बदलने संबंधी सूचना लाईसेंस देने वाले ऑफिसर को दी गई हो। संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) जयपुर राजस्थान द्वारा दिनांक 12.10.2020 को जारी अधिकार पत्र व कमिश्नरेट ऑफ एग्रीकल्चर राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी ऑफिस आर्डर 27397–890 दिनाक 01.02.2023 फर्म को जब्ती दिनांक के बाद का जारी किया हुआ है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे यह सिद्ध होता हो कि जब्त उर्वरक अप्रार्थी द्वारा नियमों के तहत भण्डारित किया हुआ था। उक्त विवेचन से जब्त उर्वरको का अवैध रुप से भण्डारण अप्रार्थी द्वारा किया जाना स्पष्ट होता है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 2 उर्वरक जिंक सल्फेट मोनाहाइड्रेट (Zinc sulphate monohydrate) 1200 किग्रा. व बायो

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

एनरिच्ड आर्गेनिक मैन्युर (Bio enriched organic manure) 520 बैग प्रत्येक में 25 किग्रा. कुल 13000 किग्रा. जब्त को राजसात किया जाता है। कृषि अधिकारी (पौध एवं संरक्षण)/उर्वरक निरक्षक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) झोटवाडा जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण करं राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर